

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

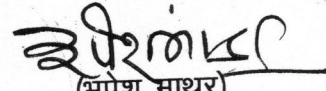
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-ri@nic.in)

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-384/94)(लिंक नं. 2720)/ अलेसे-11/830 दिनांक :- 15.11.21

कार्यालय आदेश

श्री कैलाश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (लिंक नम्बर 2720) कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिये राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 के निर्णय 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री कैलाश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का नाम परिवर्तित कर "कैलाश चन्द" के स्थान पर "कैलाश चन्द सेन" किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

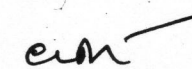
भविष्य में इन्हें श्री "कैलाश चन्द" के स्थान पर श्री "कैलाश चन्द सेन" के नाम से जाना जावेगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3(ख) (के-384/94)(लिंक नं. 2720)/ अलेसे-11/830 दिनांक :- 15.11.21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. श्री कैलाश चन्द सेन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
4. उप निदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
5. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)